

11. DETAILS OF FEES PAID

If Fees Exempted Yes No

Note : If Yes Proof Of Fees Exempted Should Be Attach Along With Form

Mode of Payment Cash Receipt No.
 Demand Draft DD No.
Bank Name

Declaration :

I _____ Son/Daughter of _____ do hereby declare that the particulars furnished above are correct to the best of my knowledge and belief and that I am prepared to undergo any punishment imposed on me if any of the particulars furnished are found to be false and misleading. I also further declare that I shall abide by the conditions, rules and regulative measures imposed by the board from time to time.

NOTE : PLEASE ATTACH THE XEROX COPY OF THE MARKS SHEET.

Signature of the Parents/Guardian

Signature of the Candidate

Date :

Place :

महत्वपूर्ण निर्देश

- 1) पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि के पश्चात 21 दिनों तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसके पश्चात् आगामी 7 दिनों तक विलम्ब शुल्क सहित पुनर्निरीक्षण आवेदन-पत्र बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए इसके उपरान्त कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. पुनर्निरीक्षण में केवल यह ही देखा जाएगा कि उत्तर-पुस्तिका में हल किए गए सभी प्रश्नों के उत्तरों में दिए गए अंकों का योग सही किया गया है व उत्तर-पुस्तिका में परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए सभी प्रश्नों का परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया गया है।
3. यदि उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्निरीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड के विधान (रेग्युलेशन)के अनुसार परीक्षार्थी के परिणाम में परिवर्तन / संशोधन किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र में वांछित परीक्षार्थी का नाम, पता एवम् अन्य सूचनाएं परीक्षार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक उसके निजी हस्तलेख (लिखाई) में भरी जानी चाहिए। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि होने के कारण पुनर्निरीक्षण में विलम्ब होता है तो कार्यालय इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
5. किसी भी परिस्थिति में कोई भी उत्तर-पुस्तिका किसी भी परीक्षार्थी या उसके अभिभावक को नहीं दिखाई जाएगी।
6. पुनर्निरीक्षण परिणाम की सूचना हेतु कोई समय निश्चित नहीं है क्योंकि पुनर्निरीक्षण वांछित उत्तर-पुस्तिकाओं की उपलब्धता एवम् पुनर्निरीक्षण कमेटी की आपत्तियों (Observation) के समाधान पर निर्भर करता है। परीक्षार्थी अपने पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर ही आगामी परीक्षा के लिये अपना आवेदन-पत्र भर सकता है, इसके लिये पुनर्निरीक्षण परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।